क्षेत्रीय कार्यालय
कर्मचारी राज्य बीमा निगम
पंचदीप भवन, भवानी सिंह रोड, जयपुर–1
(ISO 9001-2001 CERTIFIED)
दूरभाष - 0141-2221631, 2225806,
फैक्स -0141-2222047 Email: rd-rajsthan.esic.nic.in
Website : www.esicrajasthan.com

:–: नियोजक कृपया ध्यान दे :–:

कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 आपके कारखाने पर लागू होता हैं :–

1. यदि यह किसी ऐसे क्षेत्र में स्थित हैं जहॉ कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम की धारा 1 (3) के अधीन कर्मचारी राज्य बीमा योजना लागू की गई है और आपने पिछले 12 महीनों के दौरान किसी भी दिन अपने कारखाने में विनिर्माण प्रक्रिया के लिए शक्ति (पावर) का प्रयोग होने की स्थिति में 10 या इससे अधिक व्यक्तियों को वेतन/मजदूरी पर मियोजित किया है

अथवा

आपके कारखाने में विनिर्माण प्रक्रिया के लिए शक्ति (पावर) का प्रयोग न होने की स्थिति में 20 या इससे अधिक व्यक्तियों को वेतन/मजदूरी पर नियोजित किया है।

और

कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 आपके संस्थान पर लागू होता है :–

2. यदि आपका संस्थान निम्नलिखित किसी भी वर्ग में आता है एवं ऐसे क्षेत्र में स्थित है जहॉ कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम की धारा 1 (3) के अधीन यह योजना लागू है और आपने पिछले 12 माह के दौरान किसी भी दिन अपने संस्थान में 20 या इससे अधिक व्यक्तियों को वेतन/मजदूरी पर नियोजित किया है :–
   (क) होटल तथा रेस्तरां (यदि विनिर्माण प्रक्रिया नहीं है)
   (ख) सड़क मोटर परिवहन उपक्रम।
   (ग) सिनेमा (पूर्वदर्शन थियेटर सहित)
   (घ) समाचार पत्र स्थापनाएं।
   (ड़) दुकानें।
   (च) शैक्षणिक संस्थान।
   (छ) चिकित्सा संस्थान।
3. उपरलिखित कारखानों/स्थापनाओं के समयोपरि भत्ते को छोड़कर रूपये 10,000.00 तक प्रतिमाह वेतन/ मजदूरी पाने वाले कर्मचारी अधिनियम के अन्तर्गत आ जाते हैं, जिसमें नियोजक की अंशदान दर कर्मचारी को दी जाने वाली वेतन/मजदूरी के 4.75% के बराबर है एवं कर्मचारी का अंशदान कर्मचारी को दी जाने वाली वेतन/मजदूरी के 1.75% की दर से है (अगले पूर्ण रूपये में राउण्ड ऑफ करके)। रूपये 70.00 तक प्रतिदिन वेतन/मजदूरी प्राप्त करने वाले कर्मचारियों को कर्मचारी अंशदान का हिस्सा जमा नहीं कराना है यद्यपि इनका नियोजक अंशदान का हिस्सा जमा कराना होगा।
4. उपर्युक्त स्थिति में आप प्रधान नियोजक के रूप में कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के उपबन्धों के अनुपालना के उत्तरदायी हैं।
5. कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 की धारा–2(9) से परिभाषित कर्मचारी का बीमा योग्य नियोजन में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से पंजीयन करवाना अनिवार्य हैं। आपको यह भी अवगत करवाया जाता हैं कि कार्यस्थल पर किसी कर्मचारी की मृत्यु पश्चात् पंजीकरण हेतु प्रस्तुत आवेदन को स्वीकार नहीं किया जावेगा।
6. कर्मचारी राज्य बीमा केन्द्रीय नियम, 1950 के नियम 51(ए) के अनुसार रूपये 25,000/– तक मासिक पारिश्रमिक/वेतन प्राप्त करने वाले विकलांग श्रेणी के कर्मचारी कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अन्तर्गत दिनांक 01.04.2008 से कवर होते है। ऐसे मामलों में नियोजक के अंशदान के हिस्से की राशि नियुक्ति तिथि से 3 वर्ष के लिए केन्द्र सरकार द्वारा वहन की जावेगी ।
7. भारत सरकार, श्रम मंत्रालय ने कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 की धारा 1(5) के तहत् अधिसूचना संख्या एस–38025/5/2008–एस.एस.1 दिनांक 20.07.2009 द्वारा केन्द्र सरकार से संबंधित या नियंत्रणाधीन स्थापनाओं के अनियत और ठेका कर्मचारियों पर कर्मचारी राज्य बीमा योजना का विस्तार किया हैं।

कृपया यह सुनिश्चित करें :–

(क) कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत कर्मचारी राज्य बीमा योजना में व्याप्त समस्त नियोजको को सलाह दी जाती है कि वे संस्थानों में व्याप्ति योग्य नियमित, आकस्मिक रूप से एवं ठेकेदार के माध्यम से नियोजित कर्मचारियों पर अंशदान भुगतान करना सुनिश्चित करें, चाहे ठेकेदार अलग कोड संख्या पर पंजीकृत हो।

(ख) अंशदान देय होने से संबंधित कलेण्डर मास के अंतिम दिन से 21 दिन के अन्दर अंशदान अदा करना हैं।

(ग) कर्मचारी राज्य बीमा (साधारण), विनिमय, 1950 में अधिसूचना संख्या एन–12/13/1/2008 यो. एवं वि. दिनांक 11.03.2008 के अनुसार संशोधन करते हुए प्रत्येक नियोजक को अंशदान विवरणी संशोधित प्रपत्र–विनियम प्ररूप–5 में प्रस्तुत करना अनिवार्य है। संशोधित अंशदान विवरणी प्ररूप–5 के अनुसार नियोजित कर्मचारियों की संख्या 40 से कम होने पर नियोजक द्वारा तथा 40 से अधिक होने पर पंजीकृत चार्टर्ड एकाउण्टेण्ट द्वारा निर्धारित घोषणा पत्र में घोषणा प्रस्तुत करना अनिवार्य है। यह संशोधन दिनांक 01.04.2008 से प्रभावी किये गये है।

(घ) अंशदान विवरणी सम्बद्ध कार्यालय को बढ़ते कम में बीमा संख्या का उल्लेख करते हुए 30.09.2009 को समाप्त अंशदान अवधि के लिए चालान की रसीदी प्रतियों सहित संशोधित विनियम फार्म–5 में अंशदान विवरणी (चार प्रतियों में) दिनांक 11.11.2009 तक प्रस्तुत करनी चाहिए। संशोधित विनियम फार्म–5 की प्रति संबंधित शाखा कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है अथवा कर्मचारी राज्य बीमा निगम की वेबसाईट–www. esic. nic.in से भी डाउनलोड किया जा सकता हैं

(बीमा संख्याओं के बढ़ते कम में और फार्म–5 में उल्लिखित कॉलम में समुचित सूचनाओं सहित तैयार न की गई अंशदान विवरणी स्वीकार नहीं की जावेगी। फार्म–5 के अन्य विवरण के कॉलम में औषधालय का नाम/कमांक देना भी सुनिश्चित करें।)

(ड.) कारखाना/संस्थान जो अन्य क्षेत्रों में व्याप्त हैं तथा शाखा कार्यालय, राजस्थान में विभिन्न स्थानों पर स्थित है एवं उनके द्वारा अनुपालना भी राजस्थान क्षेत्र में की जा रही है, राजस्थान में अंशदान का भुगतान करते समय राजस्थान क्षेत्र द्वारा आवंटित सब कोड़ संख्या ही अंकित करें।

<u>कृपया यह भी ध्यान रखें कि :–</u>

1. कर्मचारी राज्य बीमा (सामान्य) विनियम, 1950 के विनियम 10–सी के अनुसार प्रत्येक पंजीकृत नियोजक को प्रतिवर्ष अपने संस्थान के संबंध में निर्धारित प्रपत्र 01–ए में अद्यतन सूचना देना अनिवार्य है। प्रपत्र फार्म 01–ए में दी गई सूचनाओं की सत्यता के लिए नियोजक स्वयं उत्तरदायी होगा।
2. निर्धारित समय सीमा के अन्दर अंशदानों का भुगतान करना आपके हित में हैं क्योंकि इससे आप आयकर अधिनियम की धारा 43–ख के अधीन कटौती का लाभ उठा सकते हैं।
3. उपर्युक्त के अनुसार अनुपालना न करने/विलम्ब से करने पर आपके कर्मचारियों को कर्मचारी राज्य बीमा योजना के लाभ प्राप्त करने में असुविधा होगी। आप भी कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम और भारतीय दण्ड संहिता के संगत उपबन्धों के अधीन दाण्डिक अभियोजन के अलावा ब्याज तथा हर्जाने के अदा करने के लिए उत्तरदायी होंगे।
4. यदि आप किसी कारणवश अधिनियम के अंतर्गत देय राशि समय पर जमा नहीं करा पाते हैं तो निगम के वसूली अधिकारी द्वारा जारी किये गये प्रथम नोटिस (सी.पी. 2) पर वांछित राशि तुरन्त जमा कर दें। ऐसा नहीं करने पर आपकी सम्पत्ति की कुर्की हो सकती है और गिरफ्तारी एवं कैद जैसी अप्रिय कार्रवाई भी हो सकती है। अतः अनुरोध है कि ऐसी अप्रिय स्थिति को न आने दें और अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों की अनुपालना सुनिश्चित करें।

किसी भी प्रकार की सहायता/मार्गदर्शन के लिए कृपया निगम के शाखा कार्यालय, उपक्षेत्रीय कार्यालय या क्षेत्रीय कार्यालय से सम्पर्क करें। अधिक जानकारी के लिए कृपया हमारी वेबसाईट www.esicrajasthan.com पर विजिट करें।

<u>अपर आयुक्त एवं क्षेत्रीय निदेशक</u>